

उत्तराखण्ड ने नई फ़िल्म नीतिको मंजूरी दी

■ चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फ़िल्म बनाने वालों के लिये सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फ़िल्म नीतिको मंजूरी दे दी है।

मुख्य बद्दि:

- आधिकारिक बयान के मुताबिक, उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी फ़िल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी आठ गुना बढ़ा दी है।
- आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में राज्य में फ़िल्मों की शूटिंग करने वालों के लिये सब्सिडी दोगुनी कर दी गई है।
- फ़िल्म सब्सिडी सरकारी हस्तक्षेप का एक रूप है जो फ़िल्म निर्माताओं, उत्पादन कंपनियों और स्टूडियो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- वित्तीय सहायता के सबसे सामान्य रूप हस्तांतरणीय कर साख (Transferable Tax Credits) और बकिरी तथा उपयोग कर छूट हैं।

आठवीं अनुसूची:

- इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं:
 - आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
 - अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
 - अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मशरूति संस्कृत के सभी तत्त्वों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।

आधिकारिक भाषाएँ:

- संविधान की आठवीं अनुसूची में नमिन्लखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
 - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।